अध्याय-I
परिचय

1.1 बजट की रूपरेखा

राज्य में 53 विभाग तथा 48 स्वायत्त निकाय हैं। बजट प्राक्कलनों तथा 2008-13 के दौरान राज्य सरकार द्वारा उनके प्रति वास्तविक आंकड़ों की स्थिति **तालिका-1.1** में दी गई है।

तालिका-1.1

2008-13 के दौरान राज्य सरकार का बजट तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
	बजट प्राक्कलन	वास्तविक आंकड़े	बजट प्राक्कलन	वास्तविक आंकड़े	बजट प्राक्कलन	वास्तविक आंकड़े	बजट प्राक्कलन	वास्तविक आंकड़े	बजट प्राक्कलन	वास्तविक आंकड़े
राजस्व व्यय										
सामान्य सेवाएं	4258	3918	4582	4377	5340	5279	5971	5690	6651	6618
समाज सेवाएं	3784	3332	4086	3902	4929	4979	5669	5147	6635	6131
आर्थिक सेवाएं	2528	2184	2994	2868	3393	3682	3819	3049	4517	3418
सहायता अनुदान तथा अंशदान	4	4	4	4	6	6	12	12	7	7
योग (1)	**10574**	**9438**	**11666**	**11151**	**13668**	**13946**	**15471**	**13898**	**17810**	**16174**
पूंजीगत व्यय										
पूंजीगत परिव्यय	**2149**	**2079**	**2160**	**1943**	**1814**	**1789**	**1899**	**1810**	**2059**	**1955**
संवितृत किए गए ऋण तथा अग्रिम	**24**	**90**	**51**	**70**	**225**	**227**	**390**	**493**	**379**	**469**
लोक ऋण की चुकौती	**2501**	**885**	**920**	**867**	**879**	**870**	**1099**	**1128**	**1930**	**2117**
आकस्मिक निधि	---	---	---	---	---	---	---	--	---	--
लोक लेखा संवितरण	**1987**	**5690**	**1987**	**6421**	**1987**	**7162**	**1987**	**8526**	**2288**	**8285**
अन्त रोकड़ शेष	---	**979**	---	**281**	---	**635**	---	**569**	---	(-) 295
योग (2)	6661	9723	5118	9582	4905	10683	5375	12526	6656	12531
सकल योग (1+2)	**17235**	**19161**	**16784**	**20733**	**18573**	**24629**	**20846**	**26424**	**24466**	**28705**

स्रोत: राज्य सरकार के बजट का वार्षिक वित्तीय विवरण तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

1.2 राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग

₹ 24,466 करोड़ के बजट के कुल परिव्यय के प्रति कुल व्यय ₹ 28,705 करोड़ था। राज्य का कुल व्यय[1] 2008-13 के दौरान ₹ 11,607 करोड़ से बढ़कर ₹ 18,598 करोड़ हो गया, राज्य सरकार का राजस्व व्यय 2008-09 में ₹ 9,438 करोड़ से 2012-13 में ₹ 16,174 करोड़ होकर 71 *प्रतिशत* बढ़ गया। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय 2008-13 की अवधि के दौरान ₹ 8,561 करोड़ से 65 *प्रतिशत* बढ़कर ₹ 14,094 करोड़ हो गया तथा पूंजीगत परिव्यय ₹ 2,079 करोड़ से छः *प्रतिशत* घटकर ₹ 1,955 करोड़ हो गया।

2008-13 वर्षों के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का 81 से 87 *प्रतिशत* था तथा पूंजीगत व्यय 11 से 18 *प्रतिशत* था। इस अवधि के दौरान कुल व्यय 14 *प्रतिशत* की वार्षिक औसत दर पर बढ़ा, जबकि 2008-13 के दौरान राजस्व प्राप्तियां 11 *प्रतिशत* की वार्षिक औसत वृद्धि की दर से बढ़ी।

1.3 सतत बचतें

चार मामलों में विगत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ की सतत बचतें थी, जिसका ब्यौरा **तालिका-1.2** दिया गया है।

तालिका-1.2

2008-13 के दौरान अनुदानों तथा सतत बचतों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या तथा नाम	बचत राशि				
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्वः दत्तमत						
1.	03-न्याय प्रशासन	3.66	2.84	16.51	15.96	14.78
2.	15-योजना तथा पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	15.06	9.99	7.78	9.43	6.89
3.	20-ग्रामीण विकास	8.48	2.06	4.06	75.07	72.69
पूंजी-दत्तमत						
4.	29-वित्त	2.32	4.19	1.84	1.67	5.07

स्रोतः विनियोजन लेखे।

2011-12 (₹ 57.86 करोड़) तथा 2012-13 (₹ 18.16 करोड़) के दौरान अनुदान संख्या-20 ग्रामीण विकास के अंतर्गत बचतों का एक महत्वपूर्ण भाग महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत हुआ। इससे अपर्याप्त वित्तीय नियन्त्रण प्रदर्शित हुआ।

1.4 राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों से सीधे अंतरित की गई निधियां

2012-13 के दौरान भारत सरकार ने राज्य बजट के मार्ग का अनुसरण किये बिना विभिन्न राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को ₹ 1202 करोड़ सीधे अन्तरित किये। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वयन अभिकरणों को अन्तरित की गई निधियों का अनुश्रवण करने के लिए राज्य में एक भी अभिकरण नहीं है तथा मुख्य ध्वजपोत स्कीमों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्कीमों जिनका कार्यान्वयन राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा किया जा रहा है, पर एक विशेष वर्ष में वास्तविक रूप से व्यय किये जाने वाले धन के सम्बन्ध में कोई पहले से उपलब्ध आंकड़े नहीं हैं।

[1] कुल व्यय में राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय तथा ऋण व अग्रिम अन्तर्विष्ट हैं।

1.5 भारत सरकार से सहायता अनुदान

2008-09 से 2012-13 वर्षों के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान **तालिका-1.3** में दिये गए हैं।

तालिका-1.3
भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
आयोजनेत्तर अनुदान	2311	2052	2634	2647	2526
राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान	1700	2731	2680	3342	4179
केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान	5	5	1	27	28
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान	456	339	343	505	580
योग	**4472**	**5127**	**5658**	**6521**	**7313**
विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	-2.08	14.65	10.36	15.25	12.15
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता	48	50	45	45	47

2008-13 की अवधि के दौरान भारत सरकार से कुल सहायता अनुदान ₹ 4472 करोड़ से बढ़कर ₹ 7313 करोड़ हो गया। विगत वर्ष की तुलना में 2009-13 की अवधि के दौरान प्रतिशतता वृद्धि 10 तथा 15 के मध्य थी, जबकि राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में इसकी प्रतिशतता 45 तथा 50 *प्रतिशत* के मध्य थी।

1.6 लेखापरीक्षा की योजना तथा संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, स्कीमों/ परियोजनाओं, आदि, कार्यकलापों की जटिलताओं, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के स्तर, आन्तरिक नियन्त्रणों और पणधारियों के सरोकारों तथा विगत लेखापरीक्षा परिणामों के जोखिम निर्धारण से प्रारम्भ होती है। इस जोखिम निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृत्ति तथा सीमा के बारे निर्णय लिया जाता है तथा एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना बनाई जाती है।

लेखापरीक्षा की समाप्ति के बाद लेखापरीक्षा परिणामों से अन्तर्विष्ट निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अध्यक्ष को एक मास के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध सहित जारी किया जाता है। उत्तर प्राप्त होने पर लेखापरीक्षा परिणामों का या तो समायोजन किया जाता है अथवा अनुपालना हेतु आगामी कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित मुख्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में समाविष्ट करने के लिए उन

अभ्युक्तियों पर अपेक्षित कार्रवाई की जाती है तथा भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है।

2012-13 के दौरान कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा राज्य के 300 आहरण तथा संवितरण अधिकारियों और 38 स्वायत्त निकायों की अनुपालना लेखापरीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त तीन निष्पादन लेखापरीक्षाएं भी की गई थी।

1.7 महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षण तथा लेखापरीक्षा के प्रति सरकार का उत्तर

विगत कुछ वर्षों में लेखापरीक्षा ने विभिन्न कार्यक्रमों/ कार्यकलापों के कार्यान्वयन में पाई गई कई महत्त्वपूर्ण कमियों तथा चयनित विभागों में आन्तरिक नियन्त्रण की गुणवत्ता जिनका विभागों के कार्यक्रमों तथा कार्यचालन की सफलता पर निषेधात्मक प्रभाव रहा है, पर प्रतिवेदन दिये हैं। सुधारात्मक कार्रवाई करने तथा नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं में सुधार लाने के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों/ स्कीमों की लेखापरीक्षा करना और कार्यपालकों को उचित संस्तुतियां प्रस्तुत करना मुख्य क्षेत्र थे।

लेखापरीक्षा तथा लेखे, 2007 पर भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाविष्ट करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/ प्रारूप परिच्छेदों के संदर्भ में विभागों को अपने उत्तर छः सप्ताह के भीतर भेजने अपेक्षित हैं। उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया गया कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्भावित रूप से समाविष्ट किए जाने वाले ऐसे परिच्छेदों पर उनकी टिप्पणियों का समाविष्ट करना आवश्यक होगा। उन्हें यह भी परामर्श दिया गया था कि वे निष्पादन लेखापरीक्षाओं के प्रारूप प्रतिवेदनों तथा प्रारूप लेखापरीक्षा परिच्छेदों पर चर्चा करने के लिए प्रधान महालेखाकार के साथ बैठक करें। प्रतिवेदन में समाविष्ट करने के लिए इन प्रस्तावित प्रारूप प्रतिवेदनों तथा परिच्छेदों को अतिरिक्त मुख्य सचिवों/ प्रधान सचिवों/ सचिवों को भी उनसे उत्तर जानने के लिए अग्रेषित किया गया था। वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए तीन निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर प्रारूप प्रतिवेदन तथा 26 प्रारूप परिच्छेद सम्बन्धित प्रशासनिक सचिवों को अग्रेषित किये गये थे, किन्तु सरकार का उत्तर मात्र आठ मामलों में प्राप्त हुआ है।

1.8 लेखापरीक्षा से सम्बंधित वसूलियां

केन्द्रीय लेखापरीक्षा के दौरान राज्य सरकार के विभागों के लेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आई वसूलियों को विभिन्न विभागीय आहरण तथा संवितरण अधिकारियों को उनकी पुष्टि करने तथा आगामी आवश्यक कार्रवाई करने हेतु भेजा गया था।

900 मामलों में इंगित की गई ₹ 1.83 करोड़ की वसूली के प्रति सम्बन्धित आहरण तथा संवितरण अधिकारियों ने 2012-13 के दौरान 227 मामलों में ₹ 0.13 करोड़ की वसूली की थी, जिसका ब्यौरा **तालिका -1.4** में दिया गया है।

तालिका-1.4

2012-13 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई वसूलियों तथा विभागों द्वारा स्वीकृत/ की गई वसूलियों के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

विभाग	ध्यान में आई वसूलियों का विवरण	2012-13 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई तथा विभागों द्वारा स्वीकृत की गई वसूलियां		2012-13 के दौरान की गई वसूलियां	
		मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि	मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि
विविध विभाग	चिकित्सा प्रतिपूर्ति की अधिक अदायगी के संदर्भ में किए गए अधिक भुगतान	900	1.83	227	0.13

1.9 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की प्रत्युत्तरदायिता का अभाव

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश लेन देनों की नमूना जांच के माध्यम से सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करते हैं तथा निर्धारित नियमों व प्रक्रियाओं के अनुसार महत्वपूर्ण लेखा तथा अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण का सत्यापन करते हैं। इन निरीक्षणों का अनुसरण लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करके किया जाता है। लेखापरीक्षा निरीक्षण के दौरान ध्यान में आई महत्त्वपूर्ण अनियमितताओं, आदि का जब मौके पर समायोजन नहीं हो पाता है तब इन निरीक्षण प्रतिवेदनों को निरीक्षित कार्यालयों के अध्यक्षों को जारी किया जाता है तथा इसकी एक प्रति अगले उच्च प्राधिकारी को जारी की जाती है।

कार्यालय अध्यक्षों तथा अगले उच्चतर प्राधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अपनी की गई अनुपालना से अवगत करवाना अपेक्षित है। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रधान सचिव (वित्त) को लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों के संदर्भ में भेजे गए अर्धवार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से गंभीर अनियमितताओं को विभागाध्यक्षों के ध्यान में भी लाया जाना अपेक्षित है।

नमूना लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर 31 मार्च 2013[2] को बकाया 7,237 निरीक्षण प्रतिवेदनों में समाविष्ट 27,609 लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को **तालिका-1.5** में दर्शाया गया है।

तालिका-1.5

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन/ परिच्छेद

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	क्षेत्र का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	अंतर्ग्रस्त राशि
1.	सामाजिक क्षेत्र	5467	22182	5304.45
2.	सामान्य क्षेत्र	1111	3694	4361.48
3.	आर्थिक क्षेत्र (गैर-सा0क्षे0उ0)	659	1733	2341.04
योग		**7237**	**27609**	**12006.97**

2012-13 के दौरान तदर्थ समिति की 29 बैठकें आयोजित की गई जिनमें 338 निरीक्षण प्रतिवेदन तथा 1485 परिच्छेद समायोजित किए गए।

कल्याण विभाग तथा जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों से सम्बन्धित सितम्बर 2012 तक 89 आहरण तथा संवितरण अधिकारियों[3] को जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों की विस्तृत संवीक्षा ने दर्शाया की 254 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित ₹ 1040 करोड़ की वित्तीय विवक्षाओं से युक्त 1008 परिच्छेद 31 मार्च 2013 के अन्त तक बकाया थे। इन में से सबसे पुरानी मदें वर्ष 1978-79 के दौरान जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित थी तथा ₹ 81.72 करोड़ की वित्तीय विवक्षाओं वाले 151 परिच्छेद 10 वर्ष से अधिक समय से समायोजित नहीं किए गए थे। इन बकाया 254 निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा 1008 परिच्छेदों की वर्षवार स्थिति **परिशिष्ट 1.1** तथा अनियमितताओं की किस्म **परिशिष्ट 1.2** में उल्लिखित है।

विभागीय अधिकारी निर्धारित समयावधि में निरीक्षण प्रतिवेदनों में समाविष्ट प्रेक्षणों पर कार्रवाई करने में विफल रहे जिसके फलस्वरूप उत्तरदायित्व की उपेक्षा हुई।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर शीघ्र तथा समुचित उत्तर सुनिश्चित करने हेतु मामले की संवीक्षा करे।

1.10 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

लोक लेखाओं पर समिति की आन्तरिक कार्रवाई के लिए प्रक्रिया के नियमों के अनुसार प्रशासनिक विभागों को अपने स्तर पर इस बात का ध्यान दिए बिना कि लोक लेखा समिति द्वारा इनकी जांच की गई या नहीं भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में समाविष्ट सभी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों तथा समीक्षाओं पर कार्रवाई करनी थी। उन्हें राज्य विधान सभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति के तीन माह के भीतर की गई अथवा प्रस्तावित उपचारी कार्रवाई के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत रूप से पुनरीक्षित टिप्पणियां भी प्रस्तुत करनी थी।

---

[2] 30 सितम्बर 2012 तक जारी किए गए तथा 31 मार्च 2013 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन व परिच्छेद समाविष्ट हैं।

[3] कल्याण विभाग: 77 तथा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण: 12।

31 अगस्त 2013 तक 31 मार्च 2012 को समाप्त अवधि तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों पर की गई कार्रवाई से सम्बन्धित टिप्पणियों की प्राप्ति के संदर्भ में स्थिति **तालिका-1.6** में दी गई है।

तालिका-1.6

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों पर की गई कार्रवाई पर प्राप्त की गई टिप्पणियों की स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	वर्ष	विभाग	31 अगस्त 2013 को लम्बित की गई कार्रवाई से सम्बंधित टिप्पणियां	राज्य विधानसभा में प्रस्तुतिकरण की तिथि	की गई कार्रवाई से सम्बंधित टिप्पणियों को प्राप्त करने की देय तिथि
सिविल/सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सा0क्षे0उ0)	2009-10	भारतीय चिकित्सा तथा होम्योपैथी पद्धति (आयुर्वेदिक)	01	8.4.2011	7.7.2011
	2010-11	शिक्षा	03	6.4.2012	5.7.2012
		खाद्य तथा सिविल आपूर्ति	01		
	2011-12	विविध विभाग	20	9.4.2013	8.7.2013
राज्य वित्त	2009-10	वित्त तथा विविध विभाग	सभी अध्याय	8.4.2011	7.7.2011
	2010-11	वित्त तथा विविध विभाग	सभी अध्याय	6.4.2012	5.7.2012
	2011-12	वित्त तथा विविध विभाग	सभी अध्याय	9.4.2013	8.7.2013
किन्नौर जिला	2011-12	विविध विभाग	सभी अध्याय	9.4.2013	8.7.2013

1.11 स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करने से सम्बन्धित प्रास्थिति

राज्य सरकार द्वारा अनेक स्वायत्त निकाय संस्थापित किए गए हैं। इन निकायों की भारी संख्या का भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा इनके लेनदेनों, प्रचालनात्मक कार्यकलापों व लेखों, नियामक अनुपालना लेखापरीक्षा, आंतरिक नियन्त्रण की समीक्षा, वित्तीय नियन्त्रण तथा पद्धतियों व प्रक्रियाओं की समीक्षा आदि का सत्यापन करने हेतु लेखापरीक्षा की जाती है। राज्य में 14 स्वायत्त निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा का कार्य भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपा गया है। लेखापरीक्षा सुपुर्द करने, लेखापरीक्षा को लेखे प्रस्तुत करने, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को जारी करने तथा विधानसभा में इनके प्रस्तुतिकरण की प्रास्थिति **परिशिष्ट 1.3** में इंगित की गई है।

हिमाचल प्रदेश भवन निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, शिमला के वर्ष 2011-12 के लेखों में 273 दिन का विलम्ब था, जबकि वर्ष 2012-13 के लेखे दिसम्बर 2013 तक अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। 10[4] निकायों के वर्ष 2012-13 के लेखे अगस्त 2013 तक प्रस्तुत नहीं किए गए थे तथा कांगड़ा, मण्डी, चम्बा व बिलासपुर के चार जिला विधिक प्राधिकरणों के लेखों में क्रमश: 52, 52, 38 तथा 38 दिन का विलम्ब था। लेखों को अंतिम रूप देने में विलम्ब से वित्तीय अनियमितताएं होने का जोखिम होता है जिनका पता नहीं लगता। अत: लेखों को शीघ्र से शीघ्र अंतिम रूप देना तथा प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है।

वर्ष 2011-12 के लिए जारी किए गए 13 स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को अभी विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है तथा एक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को 2011-12 के लेखों की प्राप्ति में विलम्ब होने के कारण जारी नहीं किया गया है (**परिशिष्ट 1.3**)। इन्हें शीघ्र से शीघ्र राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

1.12 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में समाविष्ट समीक्षाओं तथा परिच्छेदों का वर्षवार विवरण

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समीक्षाओं तथा परिच्छेदों का विगत दो वर्षों का वर्षवार विवरण धनराशि सहित **तालिका-1.7** में दिया जाता है:

तालिका-1.7

2010-13 के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में की गई समीक्षाओं तथा परिच्छेदों का विवरण

वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा		परिच्छेद		उत्तर प्राप्ति	
	संख्या	मौद्रिक मूल्य (₹ करोड़ में)	संख्या	मौद्रिक मूल्य (₹ करोड़ में)	निष्पादन लेखापरीक्षा	प्रारूप परिच्छेद
2010-11	2	604.66	20	804.77	---	---
2011-12	2	731.33	19	176.52	2	1

2012-13 के दौरान ₹ 579.78 करोड़ के मौद्रिक मूल्य की तीन निष्पादन लेखापरीक्षा तथा ₹ 679.17 करोड़ के 22 परिच्छेद इस प्रतिवेदन में समाविष्ट किए गए हैं। इनमें से एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा सात परिच्छेदों के उत्तर प्राप्त किए गए (दिसम्बर 2013)।

4 हिमाचल प्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद्, शिमला, हिमाचल प्रदेश भवन तथा निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, शिमला, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हमीरपुर, कुल्लू, नाहन, रामपुर, शिमला, सोलन तथा ऊना।